



राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

क्रमांक एफ. NEP/शैक्ष. प्रथम/2023/

दिनांक:

अधिसूचना

शैक्षणिक परिषद् की विशेष बैठक जो दिनांक 19-06-2023 को आयोजित हुई थी के निर्णय संख्या 01 की अनुपालना में अकादमिक सत्र 2023-24 से नई शिक्षा नीति-2020 स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर से सेमेस्टर पद्धति/सी.बी.सी पद्धति संघटक एवं सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों पर लागू कर दी गई है तथा दिनांक 02-09-2023 की शैक्षणिक परिषद् की विशेष बैठक के निर्णय संख्या 01 की अनुपालना में BOS/COC/Adhoc COC समितियों द्वारा की गई अनुशंसाओं के अनुसार नई शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप तैयार किये गये स्नातक स्तर के प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर्स को सत्र 2023-24 से लागू किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है इसके अनुरूप सभी पाठ्यक्रमों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुये अपलोड भी कर दिये गये हैं।

(कालू राम)
कुलसचिव

क्रमांक एफ. NEP/शैक्ष. प्रथम/2023/30626-31015

दिनांक: 26/10/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्राचार्य/प्राचार्या समस्त संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर निर्दिष्ट है कि उपरोक्त अधिसूचना से छात्रों को अवगत कराते हुये तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करें तथा साथ ही Value Added Course (VAC) एवं Skill Enhancement Course (SEC) को opt करने के लिये भी छात्रों को सूचित करें ताकि परीक्षा फार्म भरते वक्त उनको सुविधा रहे।
2. समस्त शैक्षणिक विभागध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. वित्त नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. उप-कुलसचिव (शैक्षणिक-द्वितीय/गोपनीय अनुभाग/परीक्षा), राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. जन संपर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, कुलपति महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. निजी सहायक, कुलसचिव/वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।

Rj/Tan
उप-कुलसचिव
(शैक्षणिक-प्रथम)